भीम BHIM

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2020–21/ 968-1174 दिनांक : 29/04/20

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.................................

विषयः–वर्ष 2020–21 मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः– कृषि आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2019–20/ 3643–3896 दिनांक 04.11.2019 एवं 5444–5657 दिनांक 03.01.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग एवं राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 हेतु फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यकम कियान्वयन के दिशा निर्देश कृषि आयुक्तालय द्वारा भिजवाये गये थे (संलग्न)। उक्त फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यकम कियान्वयन के दिशा निर्देश वर्ष 2020–21 में भी प्रभावी रहेगें।

माननीय मुख्यमंत्री के बजट भाषण 2020–21 के बिन्दु संख्या 33 के तहत वर्षा जल को संगृहित कर सिंचित क्षेत्र बढाने के कम में वर्ष 2020–21 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यकम कियान्वयन हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। उक्त प्रावधानो के 50 प्रतिशत सीमा तक योजना का कियान्वयन किया जाये। समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा योजनाओं में परिवर्तनीय दिशा–निर्देश मान्य होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

29-4-20
(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2020–21/ 968-1174 दिनांक 29/04/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त....................।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
11. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
13. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
14. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/ उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/ प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/ विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त.................... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगें।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
20. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
21. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
22. समस्त परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगें।
23. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...

29/4/20
(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में फार्म पौण्ड निर्माण के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	जिला / कार्यालय का नाम	फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्य के लक्ष्य								प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण के लक्ष्य								कुल योग	
		भौतिक				वित्तीय (राशि रु. लाख में)				भौतिक लक्ष्य				वित्तीय (राशि रु. लाख में)				भौतिक लक्ष्य	वित्तीय (राशि रु. लाख में)
		सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग		
1	जयपुर	500	100	50	650	315.00	63.00	31.50	409.50	1000	125	125	1250	900.00	112.50	112.50	1125.00	1900	1534.500
2	दौसा	200	50	50	300	126.00	31.50	31.50	189.00	100	50	75	225	90.00	45.00	67.50	202.50	525	391.500
3	अजमेर	400	100	25	525	252.00	63.00	15.75	330.75	100	50	25	175	90.00	45.00	22.50	157.50	700	488.250
4	भरतपुर	100	100	20	220	63.00	63.00	12.60	138.60	50	15	10	75	45.00	13.50	9.00	67.50	295	206.100
5	धौलपुर	50	25	25	100	31.50	15.75	15.75	63.00	50	15	10	75	45.00	13.50	9.00	67.50	175	130.500
6	अलवर	100	50	75	225	63.00	31.50	47.25	141.75	100	25	50	175	90.00	22.50	45.00	157.50	400	299.250
7	सवाईमाधोपुर	400	100	125	625	252.00	63.00	78.75	393.75	50	25	50	125	45.00	22.50	45.00	112.50	750	506.250
8	करौली	400	100	125	625	252.00	63.00	78.75	393.75	50	20	50	120	45.00	18.00	45.00	108.00	745	501.750
9	कोटा	50	10	10	70	31.50	6.30	6.30	44.10	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	70	44.100
10	बूंदी	50	10	10	70	31.50	6.30	6.30	44.10	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	70	44.100
11	झालावाड़	100	25	25	150	63.00	15.75	15.75	94.50	50	15	10	75	45.00	13.50	9.00	67.50	225	162.000
12	टोंक	500	150	75	725	315.00	94.50	47.25	456.75	100	25	25	150	90.00	22.50	22.50	135.00	875	591.750
13	बारां	50	25	20	95	31.50	15.75	12.60	59.85	20	15	10	45	18.00	13.50	9.00	40.50	140	100.350
14	जोधपुर	100	15	10	125	63.00	9.45	6.30	78.75	200	50	25	275	180.00	45.00	22.50	247.50	400	326.250
15	नागौर	350	50	10	410	220.50	31.50	6.30	258.30	500	150	25	675	450.00	135.00	22.50	607.50	1085	865.800
16	बाड़मेर	50	20	10	80	31.50	12.60	6.30	50.40	100	25	20	145	90.00	22.50	18.00	130.50	225	180.900
17	श्रीगंगानगर	10	10	5	25	6.30	6.30	3.15	15.75	10	0	0	10	9.00	0.00	0.00	9.00	35	24.750
18	हनुमानगढ़	10	10	5	25	6.30	6.30	3.15	15.75	10	0	0	10	9.00	0.00	0.00	9.00	35	24.750
19	भीलवाड़ा	300	35	20	355	189.00	22.05	12.60	223.65	100	20	10	130	90.00	18.00	9.00	117.00	485	340.650
20	चित्तौड़गढ़	250	35	20	305	157.50	22.05	12.60	192.15	100	20	10	130	90.00	18.00	9.00	117.00	435	309.150
21	राजसमंद	100	15	20	135	63.00	9.45	12.60	85.05	50	20	10	80	45.00	18.00	9.00	72.00	215	157.050
22	उदयपुर	75	15	20	110	47.25	9.45	12.60	69.30	50	20	10	80	45.00	18.00	9.00	72.00	190	141.300
23	बांसवाड़ा	15	10	25	50	9.45	6.30	15.75	31.50	50	20	10	80	45.00	18.00	9.00	72.00	130	103.500
24	डूंगरपुर	35	5	25	65	22.05	3.15	15.75	40.95	50	20	10	80	45.00	18.00	9.00	72.00	145	112.950
25	प्रतापगढ़	50	10	30	90	31.50	6.30	18.90	56.70	50	20	10	80	45.00	18.00	9.00	72.00	170	128.700
26	बीकानेर	50	20	10	80	31.50	12.60	6.30	50.40	150	25	15	190	135.00	22.50	13.50	171.00	270	221.400
27	सीकर	50	25	25	100	31.50	15.75	15.75	63.00	150	70	45	265	135.00	63.00	40.50	238.50	365	301.500
28	झुंझुनू	50	25	25	100	31.50	15.75	15.75	63.00	50	25	25	100	45.00	22.50	22.50	90.00	200	153.000
29	जालौर	50	20	10	80	31.50	12.60	6.30	50.40	100	25	10	135	90.00	22.50	9.00	121.50	215	171.900
30	सिरोही	100	25	25	150	63.00	15.75	15.75	94.50	50	25	25	100	45.00	22.50	22.50	90.00	250	184.500
31	पाली	100	25	10	135	63.00	15.75	6.30	85.05	100	25	25	150	90.00	22.50	22.50	135.00	285	220.050
32	चूरू	25	5	5	35	15.75	3.15	3.15	22.05	100	25	20	145	90.00	22.50	18.00	130.50	180	152.550
33	जैसलमेर	50	20	10	80	31.50	12.60	6.30	50.40	100	25	25	150	90.00	22.50	22.50	135.00	230	185.400
34	आर.जी.एन.डी. बीकानेर	10	10	10	30	6.30	6.30	6.30	18.90	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	30	18.900
35	सीएडी कोटा	30	10	15	55	18.90	6.30	9.45	34.65	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	55	34.650
	कुल योग	4760	1260	980	7000	2998.80	793.80	617.40	4410.00	3740	990	770	5500	3366.00	891.00	693.00	4950.00	12500	9360.00

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2019-20/3643-3898 दिनांक :4/11/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, समस्त..............................

विषयः-वर्ष 2019-20 मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः- कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 189-389 दिनांक 04.04.2019, 1227-1339 दिनांक 03.06.2019 एवं 1553-1674 दिनांक 26.06.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के क्रम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अलग से भिजवायें जायेगें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2019-20/3643-3898 दिनांक 4/11/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज० जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त....................।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त..................।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/ उद्यान, मु० जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/ प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/ विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पी०स०/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
18. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त.................... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
20. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
24. समस्त परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समीक्षाकर प्रगति ई-मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
25. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...

4/11/2019

(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि
जल उपयोग प्रकोष्ठ

जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर, दूरभाष 0141-2227758, E-mail jdagr_wuc@rediffmail.com

Scanned by CamScanner

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2019–20

फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण के दिशा–निर्देश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

राज्य में वर्षा जल संरक्षण के दृष्टिकोण से कृषको के लिये फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्य महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है।

1:–अनुदान की पात्रता :–

1.1 राज्य के समस्त जिले जहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत जिला सिंचाई परियोजना मे कार्य स्वीकृत हो, कृषक अनुदान के पात्र होगे।

1.2 कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर (0.5 है.) का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टयर भूमि उनके हिस्से में हो, फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान के पात्र होंगे। फार्म पौण्ड निर्माण के अंतर्गत कृषक स्वयं के नाम से अन्यत्र स्थित भूमि में भी फार्म पौण्ड निर्माण कराना चाहता है तो ऐसे फार्म पौण्ड के निर्माण पर अनुदान देय होगा। एक कृषक को दूसरे फार्म पौण्ड पर अनुदान अन्यत्र स्थित भूमि/चक/अन्य खसरा के आधार पर देय होगा अन्यथा नही।

1.3 कृषक के स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू–स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जावेगे अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे कि वे परिवार से अलग रहते है, राशन कार्ड व नरेगा जोब कार्ड अलग है।

1.4 फार्म पौण्ड निर्माण पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई की स्थापना के उपरान्त ही कृषक को अनुदान देय होगा। नव निर्मित फार्म पौण्ड पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई सयंत्र पूर्व में स्थापित अथवा नव स्थापित हो सकता है।

2 अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज:–

2.1 अनुदान हेतु कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नही हो तथा सादा पेपर पर शपथ देगा कि मेरे पास कुल ——— हैक्टर सिंचित एवं ——— हैक्टर असिंचित भूमि है। उसके अतिरिक्त मेरे नाम से कोई अन्य जमीन नहीं है।

Scanned by CamScanner

2.2 अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

2.3 कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण :-

3.1 **कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर**

3.1.1 कृषक नजदीकी नागरीक सेवा केन्द्र/ई मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड करा सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।

3.1.2 कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

3.1.3 कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद देगा।

3.1.4 संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय समय पर आवेदनों की वस्तु स्थिति (status) का अद्यतन (update) करना होगा।

3.1.5 इन सेवाओं से संबंधित वस्तु-स्थिति (status) एवं आदेश/प्रमाणपत्र/मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन-लाइन/एस एम एस द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (print-out) प्राप्त किया जा सकता है।

3.1.6 मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में एक बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

3.1.7 ऑफ लाईन आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें।

3.1.8 कृषक द्वारा जिले मे कार्यरत नागरीक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र की जानकारी जिला कलक्टर कार्यालय अथवा ई-मित्र पोर्टल (www.emitra.gov.in) से प्राप्त की जाकर आवेदन किया जा सकता है।

3.1.9 आवेदन प्रार्थना पत्र आवेदित दिनांक से यदि <u>मूल दस्तावेजों</u> को कियोस्ककर्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर/कृषक द्वारा स्वयं 30 दिवस उपरान्त संबंधित कृषि विभाग के कार्यालयों में भिजवाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

3.2 **आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन-लाईन आवेदन किये जाने पर**

3.2.1 आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (scan & upload) करेगा।

3.2.2 आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

3.2.3 आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

4 **विभागिय मापदण्ड एवं प्रकिया विवरण :–**

4.1 कृषकों द्वारा न्यूनतम 600 घन मीटर (20X10X03) या इससे अधिक आकार के फार्म पौण्ड का निर्माण करने पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना की जाकर अनुदान देय होगा। अनुदान अधिकतम सीमा से अधिक देय नहीं होगा।

4.2 फार्म पौण्ड निर्माण में खेत की स्थिति के आधार पर लम्बाई, चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन फार्म पौण्ड की गहराई 3 मीटर से कम नहीं होगी ।

4.3 कृषक द्वारा 3 मीटर से अधिक गहरा फार्म पौण्ड निर्मित किया जाता है तो कुल आयतन में 3 मीटर तक ही गहराई को सम्मिलित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई की गणना की जाकर अनुदान राशि का निर्धारण किया जावेगा।

4.4 फार्म पौण्ड निर्माण करते समय गहराई की बाध्यता को ध्यान में रखते हुये पथरीलें क्षेत्र जहां पर 3 मीटर गहराई लिया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्डीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में 2 से 3 मीटर तक की गहराई में शीथलता के आधार पर गणना की जाकर अनुदान देय होगा। फार्म पौण्ड की गहराई 2.0 मीटर से कम नहीं होगी।

4.5 फार्म पौण्ड निर्माण का कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना मे अनमोदित कार्यकम के आधार पर लिया जावेगा।

4.6 फार्म पौण्ड निर्माण कार्य स्वंय के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से करने पर अनुदान देय होगा।

4.7 सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे जिसमे आवंटित कुल लक्ष्यो मे से, अनुसूचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत, लघु/ सीमान्त कृषकों को 33 प्रतिशत एवं महिला श्रेणी कृषकों को 30 प्रतिशत भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जावे। अजा/अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भूमि स्वामित्व की पास बुक जिसमें कृषक श्रेणी/वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे।

4.8 कृषि मे फार्म पौण्ड कार्य व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।

4.9 फार्म पौण्ड निर्माण से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग कर कृषक खेत का नक्शा मय खसरा संख्या तथा फार्म पौण्ड बनाये जाने का लोकेशन आदि भी अंकित करेंगे ।

4.10 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में निर्मित फार्म पौण्ड की भारत सरकार द्वारा **Bhuvan-PDMC App** पर जियो टैगिंग की जानी है। जियोटेगिंग प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु उक्त कार्य हेतु PMKSY Website (pmksy.gov.in) पर जाकर Bhuvan-PDMC App-User Mannual Download कर लेवें एवं User Mannual में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार Bhuvan-PDMC App पर जियो टैगिंग का कार्य शत–प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करावें। वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पुर्व यह सुनिश्चित किया जावें की निर्मित फार्म पौण्ड की भारत सरकार द्वारा **Bhuvan-PDMC App** पर जियो टैगिंग की जा चुकी है एवं निर्मित संरचना के फोटोग्राफ **Bhuvan-PDMC App** अपलोड किये जा चुके है। अनुदान हेतु पात्र एवं चयनित

Scanned by CamScanner

कृषक के निर्धारित स्थल पर उपरोक्त App. के माध्यम से Latitude व Longitude नोट किये जाकर जिला स्तर/उप खण्ड कार्यालय स्तर पर रिकॉर्ड में संधारित किया जावे।

4.11 फार्म पौण्ड का निर्माण घनी आबादी वाले क्षेत्र/सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर कराया जावें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही फार्म पौण्ड बनने के उपरान्त लगाये जाने वाले बोर्ड पर चेतावनी हेतु लाल स्याही से "सावधान/खतरा, गड्ढा गहरा है बच्चों को दूर रखें" का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाये ताकि फार्म पौण्ड से जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से रोका जा सके। योजनान्तर्गत निर्मित फार्म पौण्ड के भौतिक सत्यापन उपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संबंधित कृषक से सादा कागज पर जनधन/पशुधन की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय के आशय का शपथ पत्र लिया जाये।

4.12 कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त फार्म पौण्ड का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

4.13 जिले को आवंटित लक्ष्यो मे 10–15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से पूर्ण कराये जावे।

4.14 महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियो के कियान्वयन के संबंध मे कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र कमांक प8 (5)आ.कृ./ज.उ/नरेगा/2014–15/6616–6713 दि. 22.01.2015 के अनुसार दिशा–निर्देशो का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावे। दिशा निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी अपलोड है।

4.15 जिले हेतु चयनित "सांसद आदर्श ग्राम योजना " के तहत आवेदित अधिक से अधिक आवेदनो के आधार पर प्रमुखता से कार्य कराये जावे।

4.16 जिला स्तर पर आवेदित कृषकों के समस्त रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।

4.17 प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड में प्लास्टिक शीट आई.एस.आई. मार्का एलडीपीई 500 माइक्रोन या 250 जी.एस.एम. एम.एल.सी.एल.यू.वी. प्लास्टिक शीट या एचडीपीई प्लास्टिक शीट बी आई एस गुणवत्ता 500 माइकोन या 300 माइकोन जिसका बी. आई.एस. नम्बर: BIS 10889:2004, BIS- 2508:2016 & BIS- 15351:2015, BIS- 16352:2015 हो।

4.18 कृषक द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण उपरान्त निर्मित संरचना पर/के नजदीक लोहे के बोर्ड पर निम्नानुसार विवरण,

(अ) कृषि विभाग अनुदान सहायता से निर्मित फार्म पौण्ड
(ब) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2019–20
(स) भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी का नाम........................व दूरभाष सं.............
(स) लाभान्वित कृषक श्री .... पुत्र श्री .... दूरभाष सं.................... ...ग्राम .... पंचायत समिति .... जिला ....
(द) स्वीकृत अनुदान राशि .... रुपये

अंकित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त विवरण के साथ लाभान्वित कृषक का फोटो भौतिक सत्यापन के समय पत्रावली में संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

//

Scanned by CamScanner

5 आवेदन पत्रों का निस्तारण

5.1 ऑन लाईन आवेदन से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जावे कि :–

- संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अनुदान हेतु पात्र, फार्म पौण्ड निर्माण की पत्रावलियों का पंजीयन कर 15 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हेतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा।
- पात्र कृषक का फिल्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सात दिवस मे पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा।
- कार्यालय द्वारा जारी "प्रशासनिक स्वीकृति" के संबंध मे संबंधित कृषक को क्षेत्रिय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा हस्तगत कराया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।

5.2 संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (वि.)/कृषि अधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत तथा सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत–प्रतिशत निरीक्षण किया जावेगा।

5.3 उप निदेशक कृषि (विस्तार) प्रत्येक मॉह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियो/कर्मचारियो से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यो की समय–2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेगे।

5.4 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉकवार एवं पंचायतवार किया जावेगा जिसका अनुमोदन जिला कार्यालय के माध्यम से खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय से प्राप्त किया जावेगा।

5.5 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) को आवंटित लक्ष्यो में मांग/सर्मपण, उप निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से भिजवाने पर ही मुख्यालय स्तर से परिर्वतन किया जा सकेगा।

5.6 कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के साथ सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी कराया जा सकता है। भौतिक सत्यापन का कार्य सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किये जाने पर संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक व कृषक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

5.7 यदि भौतिक सत्यापन के समय फार्म पौण्ड निर्माण का कार्य विभागीय मापदण्ड के अनुरुप नही है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को मय मापदण्ड व कारण सहित हस्तगत कराई जावेगी।

Scanned by CamScanner

5.8 कृषि आयुक्तालय से उप जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2018–19 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुऐ ही वर्ष 2019–20 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।

5.9 वर्ष 2018–19 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा देनदारियों के लिए किसी भी स्थिति में कृषि आयुक्तालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान उप जिलेवार निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों/बजट का आवंटन नहीं किया जायेगा।

5.10 वित्तीय वर्ष 2019–20 में उप जिलें को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को केवल बजट अभाव के कारण शेष रही पत्रावलियाँ ही वित्तीय वर्ष की लम्बित देनदारी में मानी जायेगी।

5.11 योजना के प्रावधान अनुसार उप जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। किसी भी स्थति में संबंधित कार्यालयों को आवंटित वित्तीय प्रावधानों से अधिक प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

5.12 प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि कृषक द्वारा 2 माह में कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो कृषक को नोटिस जारी करते हुएं उक्त जारी प्रशासनिक स्वीकृति को नियमानुसार निरस्त करने की कार्यवाही की जावे तथा वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे।

5.13 वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर यदि कृषक द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी तिथी के 4 माह या 31 मार्च तक कृषक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त प्रशासनिक स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

6 **अनुदानः** – वर्षा जल के संग्रहण एवं कुशलतम उपयोग के लिए फार्म पौण्ड निर्माण पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी के कृषकों को कच्चे फार्म पौण्ड निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत (इकाई लागत रू. 87.50 प्रति घनमीटर भराव क्षमता) अथवा अधिकतम राशि रूपये 52,500/– जो भी कम हो, तथा प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड पर लागत का 50 प्रतिशत (इकाई लागत रू. 125 प्रति घनमीटर भराव क्षमता) अथवा अधिकतम राशि रु. 75000/– जो भी कम हो अनुदान देय होगा। उक्त अनुदान का भुगतान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बजट मद से किया जावेगा। इसके अतिरिक्त लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त Top-up अनुदान राज्य योजना से देय होगा। उक्त Top-up अनुदान का भुगतान जल प्रबंधन योजना के बजट मदों से किया जावेगा। अर्थात् कच्चे फार्म पौण्ड निर्माण पर कुल अनुदान लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 63000/– जो भी कम हो, एवं प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर कुल अनुदान लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रू. 90000/– जो भी कम हो देय होगा।

Scanned by CamScanner

7 अनुदान प्रक्रिया–

7.1 फार्म पौण्ड के भौतिक सत्यापन उपरान्त विभागीय दिशा–निर्देशानुसार पाये जाने पर कृषकों को अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा।

7.2 संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय फार्म पौण्ड के भुगतान स्वीकृति हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद कार्यालय के माध्यम से अपने संबंधित खण्डीय कार्यालय को प्रेषित करेगा तथा संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

7.3 कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त संबंधित कार्यालय स्तर से सक्षम अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन उपरान्त संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्डीय कार्यालय वित्तिय स्वीकृति जारी करते हुए कृषकों को स्वीकृत अनुदान राशि का भुगतान केवल आदाता के खाते में देय **(A/c payee only)** होगा।

7.4 प्रत्येक प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की प्रति सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् एवं खण्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

"फार्म पौण्ड निर्माण उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की ए.सी.पी. शाखा को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त सूची विभाग की वेब पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।"

Scanned by CamScanner

ऑन लाईन फार्म पोण्ड (खेत तलाई) कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र वर्ष 2019–20

सेवा में,

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
जिला ....

कृषक का फोटो

महोदय,

मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत अपने खेत में फार्म पोण्ड (खेत तलाई) निर्माण करवाना चाहता हूँ। कृपया मुझे नियमानुसार फार्म पोण्ड (खेत तलाई) हेतु अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रार्थी का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. कृषक का नाम .... पिता का नाम ....
2. गांव.......................... पंचायत समिति....................... तहसील.................. जिला.........................
3. मोबाइल नम्बर..
4. जाति ....
5. आधार कार्ड संख्या (अनिवार्य) ....
6. कृषक कक्षा..
7. कृषक जमीन विवरण (हैक्टर में)
   (a) सिंचाई (हैक्टर में)..............................
   (b) असिंचित (हैक्टर में)..............................
   कुल जमीन (हैक्टर में)..............................
8. खसरा नम्बर (जिसमें फार्म पोण्ड का प्रस्ताव) ....
9. सिंचाई के स्त्रोत..
10. फार्म पोण्ड का आकार (लम्बाईxचौड़ाईxगहराई)..........x.........x.........
11. क्षेत्र सीमा का नजरिया नक्शा (ट्यूबवेल और फार्म पोण्ड का अच्छा प्रदर्शन)

आकार	नाम	पिता/पति का नाम
उत्तर		
दक्षिण		
पूर्व		
पश्चिम		

12. बैंक का नाम ....
13. शाखा का नाम ....
14. आई.एफ.एस.सी कोड ....
15. खाता संख्या ....
16. आधार कार्ड सं. ....

घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि पूर्व मे मेरे द्वारा फार्म पौण्ड पर अनुदान प्राप्त नही किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूगी। उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसूल करने का तथा वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम
मय पूर्ण पता

कृषक का नाम एवं हस्ताक्षर
दूरभाष सं. ....

Scanned by CamScanner

शपथ पत्र

मैं ———————————पुत्र श्री ——————————— ग्राम ———————तहसील——————— जिला ——————— का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पास कुल ——————— हैक्टर सिंचित एवं ——————— हैक्टर असिंचित जमीन है। मैं यह भी शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा ग्राम———————खसरा नम्बर——————— जिसमें फार्म पौण्ड का निर्माण किया जा रहा है, मैं पूर्व में फार्म पौण्ड का निर्माण कर अनुदान प्राप्त नही किया है तथा फार्म पौण्ड के निर्माण होने के उपरान्त जन एवं पशुधन की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने का भी मैं वचन देता हूँ ।

हस्ताक्षर

(नाम कृषक)

आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री ——————————— पुत्र श्री ——————————— निवासी ——————————— का फार्म पौंड पर अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जिसका पंजीयन क्रमांक ——————— दिनांक ——————— पर दर्ज किया है। अनुदान का भुगतान पात्रता एवं बजट उपलब्ध होने पर ही संभव होगा।

हस्ताक्षर सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)

Scanned by CamScanner

प्रगति प्रपत्र

वर्ष 2019–20																										
योजना													माह :–													
क. सं.	कार्यालय का नाम	लक्ष्य											बजट आवंटन					प्रगति								
		भौतिक लक्ष्य					वित्तिय लक्ष्य											भौतिक प्रगति					वित्तिय प्रगति				
		सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	महिला कृषक सं.	सा.	अ.जा.	अ.ज.जा.	योग	महिला कृषक सं.
1	उप निदेशक कृषि (वि.)																									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																									
	सहायक निदेशक कृषि (वि.)																									
	योग जिला																									

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2019–20/ 5444-5657 दिनांक 03/01/20

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.......................

विषयः–वर्ष 2019–20 मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा निर्देश के संबंध में।

प्रसंगः– कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 3643–3898 दिनांक 04.11.2019।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत समसख्यंक पत्रावली पत्रांक के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 मे फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत छोटी जोत के किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने एवं त्वरित गति से कार्य के निस्तारण को ध्यान में रखते हुऐ उक्त जारी दिशा–निर्देश मे निम्न आंशिक संशोधन किये जाते है।

1. दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 1.2 में एक स्थान पर न्यूनतम कृषि जोत 0.5 हैक्टेयर के स्थान पर 0.3 हैक्टेयर किया गया है।
2. दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 4.1 फार्म पौण्ड का न्यूनतम आकार 600 घन मीटर के स्थान पर 400 घन मीटर किया गया है।
3. दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 4.4 में फार्म पौण्ड निर्माण करते समय 3 मीटर गहराई की बाध्यता पथरीले क्षेत्र में शिथीलता के संबंध में संबंधित खण्ड के संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, खण्डीय कार्यालय द्वारा गठित कमेटी के स्थान पर जिला स्तर पर कमेटी गठन का प्रावधान किया जाता है।

अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेगें।

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक एफ 8( )/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2019–20/ 5444-5657 दिनांक 03/01/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त......................।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त...................।
11. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ।
13. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
14. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/ उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/ प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/ विस्तार/एनएमओओपी/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त..................... खण्ड
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
20. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
21. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
22. समस्त परियोजना/उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद।
23. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...

(ईश्वर लाल यादव)
संयुक्त निदेशक कृषि
जल उपयोग प्रकोष्ठ

Scanned by CamScanner